

न्यायालय- श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक / 2024

टीकमगढ़ दिनांक- 13.03.2024

-: **संशोधित विविध आदेश** :-

माह मार्च 2024 में सार्वजनिक अवकाश के संबंध में जारी विविध आदेश दिनांक 134/20204 दिनांक 02.03.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये न्यायालय निवाड़ी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में नवीन आदेश निम्नानुसार रहेगा :-

क0	पीठीसीन अधिकारी का नाम	माह मार्च 2024 की तिथियां
<u>न्यायालय निवाड़ी</u>		
1	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, जेएमएफसी निवाड़ी	03, 16, 29
2	श्री मनीष छापरिया, जेएमएफसी निवाड़ी	17, 26, 31
3	सुश्री के. शिवानी, जेएमएफसी निवाड़ी	08, 10, 24
4	श्रीमती पलक राय, जेएमएफसी निवाड़ी	25

नोट:-

1. किसी मजिस्ट्रेट के शासकीय कार्य में जाने, विशेष आवश्यक आकस्मिक अनुपस्थिति/ अवकाश अथवा उक्त अवधि में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में उनकी रिमाण्ड ड्यूटी, उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
2. उपरोक्त माह में यदि किसी पूर्व निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो, परिवर्तित अवकाश तिथि में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे, जिनकी पूर्व निर्धारित अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी निर्धारित की गयी है, जिसके स्थान पर अवकाश का परिवर्तन किया गया है।
3. उपरोक्त माह में किसी भी प्रकार के आकस्मिक अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तहसील न्यायालय निवाड़ी में **श्रीमती पलक राय, जेएमएफसी** रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
4. अपरिहार्य कारण को छोड़कर रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परिवर्तन होने की दशा में जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित की जाना है, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय पर उपस्थित अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उनके द्वारा, रिमाण्ड ड्यूटी की जाने के संबंध में सहमति प्राप्त कर, इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
5. सार्वजनिक अवकाश में आवश्यक रूप से **कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**, मुख्यालय टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा एवं ओरछा में उपस्थित रहेंगे।